रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-580/2018/918/22-2-2018-17(116)/2018

लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त, 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, वाराणसी** के सिद्धदोष **बन्दी अन्तू उर्फ बन्ता (बन्दी संख्या-1319/2010) पुत्र श्री रामखेलावन, जो-भीषमपुर, थाना-चकिया, जनपद-चन्दौली** का रहने वाला है, जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-202,201,203,204/2000** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-148, 302/149, 342/149, 336/149 व 4/25 आर्म्स एक्ट** के अधीन **दिनांक 21.12.2006** को **मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायालय), चन्दौली** तथा **सत्र परीक्षण संख्या-90/2006** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302** के अधीन **दिनांक 11.06.2008** को **मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायालय), चन्दौली** द्वारा **आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित** किया गया, की शेष सजा का परिहार करते हैं] तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, चन्दौली** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

अमर सेन सिंह

विशेष सचिव।

संख्या-580/2018/918(1)/22-2-2018 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, चन्दौली।

3- पुलिस अधीक्षक, चन्दौली।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in